न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 58/2019 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2019/00110

उनवान

रामसुखी बाई पत्नि रामनारायण उम्र 50 वर्ष जाति बैरवा निवासी बम्बोरी वाया डाबर तहसील दीगोद।

(अपीलांट)

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल उम्र 40 वर्ष जाति बैरवा निवासी कराडिया तहसील दीगोद,जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर (अपीलान्ट)
अभिभाषक श्री बलराम शर्मा (रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 बनारजगी नामन्तरकरण संख्या 20 दिनांक 12.06.1991 न्यायायलय ना0 तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा

निर्णय दिनांकः– 5/3/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि जर्ये अभिभाषक यह अपील अधीनस्थ नयायालय नायब तहसीलदार दीगोद द्वारा स्वीकृत ग्राम कराडिया तहसील दीगोद के नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 12.06.1991 की अप्रसन्नता से धारा 5 लिमिटेशन उक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि उक्त जैर अपील नामान्तकरण खिलाफ न्याय,विधि एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अपील में निर्णय दिनांक 27.06.2018 को किया जा चुका है जिसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा में की गई न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 3.09.2019 पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2018 को अपास्त करते हुए इस न्यायालय को पुनःसुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः अपील प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र/ दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर पुनः विधिसम्मत तथा तथ्यात्मक्

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा के निर्णय दिनांक 3.09.2019 की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर राज0 मे गई। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर राज0 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा के निर्णय दिनांक 3.09.2019 को बहाल रखते हुए निर्णय दिनांक 4.01.2023 पारित किया गया। पत्रावली प्राप्त होने पर पक्षकारान् की तलबी की गई। अपीलान्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री बलराम शर्मा द्वारा उपस्थिति दी गई।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है। " ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में ख़सरा नम्बर 32,197,180,3912,50,68,191,192,34,178,2911 कुल आराजी 6.55 है0 स्थित है जिसमे से 0.85 है0 आराजी अकेले पन्नालाल पुत्र लाला के खाते की है एवं 3.50 है0 भूमि मे पन्नालाल पुत्र लाला का 1/2 हिस्सा है। पन्नालाल का निधन हो चुका है जिसकी एक मात्र पुत्र छोटी बाई थी । छोटीबाई का भी निधन हो चुका है तथा छोटीबाई की एक मात्र पुत्री अपीलान्ट है। पन्नालाल के द्वारा अपने जीवनकाल मे ही उसके स्वंय के हिस्से की आराजी अपीलान्ट को संभ्भला दी गई थी। ओर तब से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। अपीलान्ट पन्नालाल जी की उत्तराधिकारी होने से प्राकृतिक वैध वारिस है। रेस्पोडेन्ट रामगोपाल द्वारा पन्नालाल जी की खातेदारी आराजी को हडप करने की नियत से फर्जी एवं कूट रचित वसीयत नामा तैयार करवाया गया था, उक्त वसीयत नामा अपंजीकृत था,रेस्पोडेन्ट रामगोपाल द्वारा गोदपुत्र भी बताया गया था जबकि किसी प्रकार का कोई गोदनामा पन्नालाल जी के द्वारा आलेखित नही किया गया। रेस्पोडेन्ट रामगोपाल द्वारा मिली भगत करते हुए अपंजीकृत वसीयत व अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर इंतकाल नम्बर 20 तस्दीक करवाया लिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त गोदनामा अंपजीकृत मानते हुए तहसीलदार दीगोद द्वारा इंतकाल की कार्यवाही में निरस्त करने की टिप्पणी की गई। किन्तु इसके बावजूद भी रामगोपाल द्वारा नायब तहसीलदार दीगोद से मिलीभगत करते हुए दिनांक 4.09.1986 की फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर दिनांक 12.06.91 को अपने नाम इंतकाल तस्दीक करवाया लिया जो अवैध एवं अवैधानिक है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। ना0 तहसीलदार दीगोद द्वारा वसीयत के संबध में कोई जॉच नही की गई, इंतकाल नम्बर 20 रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बिना किसी आधार ओर तथ्यो के तस्दीक किया गयौ जो गलत है। इंतकाल में ही गोदनामे को अमान्य कर दिया इस कारण इंतकाल वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है परन्तु इस पूरी वसीयत पन्नालाल जी के द्वारा रेस्पोडेन्ट रामगोपाल के पक्ष में आलेखित नही की गई।

उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ के साथ पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी आदेश की होने पर अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई। है। उक्त प्रस्तुत अपील के विलम्ब से पेश होने या अवधि को कन्डोन किये जाने या नही किये जाने के संबध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी प्रतिक्रिया नही की गई। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.6.91 नामान्तकरण संख्या 20 निरस्त फरमाया जाकर इंतकाल तस्दीक किये जाने हेतु अपील रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दोराने बहस कथन किया कि पक्षकारान् के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में वाद जैरकार है नामान्तकरण कार्यवाही से अधिकार तय नही किये जा सकते है। पक्षकारान् के हक अधिकार विचाराधीन वाद में साक्ष्य सुनवाई के बाद ही तय किये जा सकते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

1. **2025[1] DNJ [Rev] 369**
2. **2025[1] DNJ [Rev] 372**
3. **2025[1] DNJ [Rev] 629**
4. **RRT2012[1] 520**
5. **2018[2]RRT 1084**
6. **2018[2]RRT 1086**
7. **2010[2] RRT 1222**
8. **2010[2]RRT 1226**
9. **2013[2]RRT1054**
10. **2013[2]RRT1058**

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर राज. के निर्णय दिनांक 4.01.2023 से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा के निर्णय को यथावत रखा गया है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 3.09. 2019 पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2018 को अपास्त करते हुए इस न्यायालय को पुनःसुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः अपील प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र/ दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर पुनः विधिसम्मत तथा तथ्यात्मक् निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिका 27.06.2018 में अंकित किया गया है कि :–

" वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03. 2015 एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2016 पर बहस दिनांक 8.06.2018 को अंतिम बहस के साथ सुनी जाकर पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2015 को औचित्यप्रद नही पाते हुए खारिज किया जाता है। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.16 आर्डर 41 रूल्स 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायालय प्रकरण की प्रतिया होने से प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.16 स्वीकार कर दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील नामान्तकरण के संबध में निर्णय पृथक से

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

लिखवाया जाकर शा0फा0 किया गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तक्मील दाखिल दफतर हो " ।

अतः उक्त जैर अपील में उक्त प्रार्थनो पत्रो का निस्तारण दिनांक 27.6.2018 को ही कर दिया था। वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस दौराने बहस उक्त प्रार्थना पत्रो के निस्तारण के संबध में कोई कथन नही किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस में कथन किया है कि नामान्तकरण कार्यवाही से अधिकार तय नही होते है। पक्षकारान् के मध्य एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में विचाराधीन है जिसमे साक्ष्य व सुनवाई के बाद ही हक अधिकार तय हो सकेगे।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 12.06.1991 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 20 पर भू0अ0निरीक्षक द्वारा टिप्पणी की गई है कि " गोदनामा अपंजीकृत है अतः निरस्त र्योग्य है उचित आदेश प्रस्तुत है " अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय भू0अ0 निरीक्षक की टिप्पणी पर भी गौर नही किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में भी वाद विचाराधीन है। न्यायालय वकील रेस्पोडेन्ट की बहस एवं तर्को से सहमत है कि नामान्तकरण कार्यवाही में अधिकार तय नही होते है। इस संबध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किय गये है। विचाराधीन अपील में अपीलान्ट द्वारा स्वंय को वैधानिक वारिस मानते हुए विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा का अधिकारी होना अंकित करते हुए उक्त अपील पेश की गई है। पक्षकारान् के मध्य संक्षम न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है पक्षकारान् के हक अधिकार वाद में ही तय किये जा सकतें किन्तु न्यायालय के आदेश तक विवादित आराजीयात् खुर्द–बुर्द न हो इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.06.1991 नामान्तकरण संख्या 20 को विवादित मानते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.1991 अपास्त किया जाकर तहसीलदार दीगोद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के निर्णयाधीन कार्यवाही की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 5/3/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा